संविधान की रक्षा और लोकतंत्र बचाने विजयपुर की जनता ने ...

भाजपा को करारा तमाचा मारा : जीतू

भोपाल (काप्र)।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज आयोजित स्वागत समारोह में विजयपुर से नवनिर्वाचित विधायक मुकेश मल्होत्रा का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेसजनों ने स्वागत करते हुये कांग्रेस नेतृत्व, विजयपुर की जनता और एक-एक कार्यकर्ता एवं कांग्रेस नेताओं का आभार व्यक्त किया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री पटवारी सहित कांग्रेस नेताओं ने महात्मा ज्योतिबा राव फुले की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उनका पुण्य स्मरण करते हुये देश में उनके अविस्मरणीय योगदान को याद किया। श्री पटवारी ने श्री मलहोत्रा का स्वागत करते हुये कहा कि विजयपुर की जनता ने प्रदेश के लोकतंत्र की ताकत का सम्मान करते हुये संविधान की रक्षा की, लोकतंत्र को बचाने का काम किया। भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और भाजपा के एजेंट बनकर काम कर रहे सरकारी नौकरशाही ने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किये। फिर भी यहां जीत हासिल हुई यह भाजपा को एक करारा तमाचा है और लोकतंत्र को बचाने विजयपुर की जनता का संदेश प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जाएगा।

श्री पटवारी ने कहा कि विजयपुर और बुधनी के चुनाव से सामने आई इस पूरी परिस्थिति में मप्र का जनमानस बदल चुका हैं। देश और प्रदेश की जनता भाजपा को सत्ता से बेदखल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा निर्मला सप्रे की विधायकी समाप्त कराएं, हम चुनाव कराने के लिए तैयार है। झूठ बोलकर विधानसभा में और भ्रमजाल फैलाकर लोकसभा में वोट लिया और उसका प्रतिसाद प्रदेश की जनता के सामने है।

विजयपुर के नवनिर्वाचित विधायक मुकेश मलहोत्रा ने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व जीतू पटवारी, विजयपुर की जनता, नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि यह जीत एक-एक कार्यकर्ता की जीत हैं, कांग्रेस नेतृत्व और जनता की जीत है। विजयपुर में भाजपा द्वारा आतंक और भय का वातावरण बनने के बाद भी पूरे प्रशासन को चुनाव मैदान में उतार दिया और मतदाताओं को डराने, धमकाने और मारपीट कर मतदान करने से वंचित करने की पूरी कोशिश की गई, यहां तक कि कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, फिर भी यहां की जनता ने जो परिणाम दिया है, उससे भाजपा को पूरे प्रदेश में सबक सिखाया है।

प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि मप्र में जो दो उपचुनाव हुये हैं, भविष्य में क्या होना है यह उसकी आहट हैं। ऐसे धुंध के वातावरण में श्री पटवारी ने अपनी अनवरत अनथक मेहनत से एक नये वातावरण का निर्माण किया। कांग्रेस के एक-एक कार्यकर्ता की आशा और मनोबल को ऊपर उठाने का काम किया है। आज विजयपुर और बुधनी में जो परिणाम आये हैं उस परिणाम से भाजपाईयों के गाल सूज गये हैं। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने किया।

आम आदमी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा गौर के निवास पर पहुंचकर मप्र अल्पसंख्यक आयोग के शीघ्र गठन किए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने भोपाल कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर भोपाल के ऐतिहासिक इकबाल मैदान को कार्यक्रमों के लिए खोलने और वहां से धारा 144 हटाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय के नाम से सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश सचिव श्रीमती रईसा मलिक, प्रदेश प्रवक्ता मिन्हाज आलम, भोपाल शहर अध्यक्ष सी पी सिंह चौहान, सचिव कुलदीप पटेल, अनुशासन समिति के सदस्य एम एस खान, शहर उपाध्यक्ष इशहाक खान, विंग के अध्यक्ष कैलाश वानखेड़े, निर्मल मदेरिया, वरिष्ठ नेता सलीम खान सम्मिलित थे।

राजभवन में सेवानिवृत्त कर्मचारी को दी गई विदाई

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल के निर्देश पर राजभवन में पदस्थ रहे सहायक ग्रेड-1 बसंत कुमार तिवारी को सेवानिवृत्ति पर विदाई दी गई। राजभवन के सांदीपनि सभागार में आयोजित समारोह में श्री तिवारी को उनके अंतिम स्वत्वों के भुगतान का आदेश प्रदान करने के साथ शॉल-श्रीफल एवं स्मृति-चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। राज्यपाल के अपर सचिव उमाशंकर भार्गव ने श्री तिवारी की दीर्घकालिक सेवाओं का स्मरण करते हुए उनकी कार्यप्रणाली एवं व्यवहार की सराहना की। उन्होंने कहा कि 40 वर्षों की सुदीर्घ सेवाकाल के बाद श्री तिवारी अपने अनुभवों और कार्य क्षमताओं से परिवार और समाज को लाभान्वित करते रहें। श्री तिवारी ने राजभवन के अधिकारियों के सहयोग के प्रति आभार जताया। राजभवन के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी श्री तिवारी के सेवा संस्मरण सुनायें। नियंत्रक हाऊस होल्ड श्रीमती शिल्पी दिवाकर ने आभार ज्ञापित किया। संचालन लाइब्रेरियन अमित दीक्षित ने किया।

कांग्रेस कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों को अपमानित कर रहीः सिसोदिया

भोपाल (काप्र)। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हर नेता का अपना अलग गुट है, जिसके कारण उसमें गुटबाजी चलती रहती है।

फिर एक बार गुरूवार को विजयपुर से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के स्वागत में भी गुटबाजी सामने आ गयी। प्रदेश कांगेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित मुकेश मल्होत्रा के स्वागत कार्यक्रम के पूर्व ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपने निवास पर स्वागत कर पटवारी के कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। आज के कार्यक्रम में कांग्रेस के दोनों नेताओं की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। श्री सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस जब भी देश और प्रदेश में चुनाव हारती है तो ईवीएम और पुलिस-प्रशासन पर आरोप लगाती है। विजयपुर चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी और उनके नेता कर्मचारियों का अपमान कर रहे हैं। यह उनकी कर्मचारी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ लगातार अधिकारियों को धमकाते रहते हैं। जीतू पटवारी हों या मुकेश मल्होत्रा, सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्मचारियों का अपमान प्रदेश की जनता सहन नहीं करेगी।

मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने किया प्रदर्शन

चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर आउटसोर्स कर्मचारी रखने का हुआ विरोध

भोपाल(काप्र)।

चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर आउट सोर्स कर्मचारी को रखने के निर्णय के खिलाफ गुरुवार को मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने भोपाल सहित प्रदेश के 53 जिला मुख्यालयों पर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया।

कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर इस निर्णय को निरस्त करने की मांग की है सरकार ने अपने 5 साल में ढाई लाख कर्मचारियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है इसी में चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्स से भरने को कहा है संघ के प्रांत अध्यक्ष महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में सतपुड़ा भवन के सामने प्रदर्शन हुआ जिसमें आउटसोर्स पर कर्मचारियों को रखने का विरोध किया गया अन्य संघ के अध्यक्षों ने कहा कि इस प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए वर्तमान में आउटसोर्स कर्मचारी निजी एजेंसी के माध्यम से कार्य कर रहे हैं ऐसी भारती के लिए एक एजेंसी तय की जाए और वेतन व्यवस्था के साथ निगम बनाए जाएं और विभिन्न विभाग में कार्यरत स्थाई कर्मी दैनिक वेतन भोगी एवं अंशकालीन कर्मचारी कार्यरत है चतुर्थ श्रेणी के पद इन कर्मचारियों से भरे जाएं। उन्हें विभागों में ही खाली चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित किया जा सकता है। इससे सरकार पर आर्थिक भार नहीं आएगा सरकार इस आदेश को निरस्त नहीं करती है तो इसे आने वाले समय में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के सभी घटक संघ इसका विरोध करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो भोपाल में प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा प्रदर्शन के बाद मंत्रालय जाकर प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी प्रमुख सचिव वित्त को ज्ञापन सौंपा गया।

प्रदर्शन में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एमपी द्विवेदी, पैंशनर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष एलएन कैलासिया ,संविदा अधिकारी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौड़, अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा भोपाल के जिला अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष विजय रघुवंशी एवं विजय मिश्रा, पेंशनर संघ के उपरांत अध्यक्ष अशोक मिश्रा बालाघाट से मप्र लघु वेतन कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर भार्गव, अध्यक्ष कैलाश लाल, शिक्षा समिति के अध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी,लोक निर्माण विभाग के अध्यक्ष प्रमोद उपाध्याय, महामंत्री गौरीशंकर मालवीय, राजेंद्र बहादुर सिंह, स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष पंकज संगत, प्रांतीय सचिव दिनकर राव, हीरालाल साहू, सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रहे।

विश्व बैंक प्रतिनिधि मंडल ने की परियोजनाओं की समीक्षा

भोपाल (काप्र)।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम मप्र अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी के मुख्यालय में विश्व बैंक प्रतिनिधि मंडल ने प्रारंभिक बैठक के दौरान विश्व बैंक सहायतित परियोजनाओं की समीक्षा की।

विश्व बैंक प्रतिनिधि मंडल में टास्क टीम लीडर रघुकेशवन सहित विशेषज्ञ ऋद्धिमन साहा, डीएम मोहन व सुश्री नाविका चौधरी शामिल रहे। मप्र अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी के प्रमुख अभियंता आनंद सिंह ने विश्व बैंक दल को विश्व बैंक सहायतित पूर्ण हो चुकी एवं प्रगतिरत परियोजनाओं की अद्यतन जानकारी दी। बैठक में परियोजनाओं की सामुदायिक उपलब्धियों से जुड़ी सफलता की कहानियों को भी दल के साथ साझा किया गया। इस दौरान रिफार्म सपोर्ट कन्सल्टेंट के परिणामों व उपलब्धियों पर भी चर्चा की गई। बैठक में उप परियोजना संचालक तकनीकी शैलेन्द्र शुक्ला सहित सभी संबंधित मौजूद रहे। बैठक का समन्वय तकनीकी अधिकारी कमलेश भटनागर ने किया।

रिजर्व बैंक ने आरबीआई 90 क्विज के साथ 90वीं वर्षगांठ मनाई

भोपाल (काप्र)।

भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी 90वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस विशेष अवसर पर आरबीआई ने पूर्व-स्नातक छात्रों के लिए आरबीआई 90 क्विज के नाम से सामान्य ज्ञान आधारित एक राष्ट्रव्यापी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आरंभ की है।

आरबीआई 90 क्वीज एक टीम-आधारित प्रतियोगिता है, जो कई चरणों में आयोजित की जा रही है। पहला चरण 19 से 21 सितंबर, 2024 के बीच ऑनलाइन आयोजित किया गया। इस ऑनलाइन चरण में प्रदर्शन के आधार पर, राज्य स्तरीय राउंड में भाग लेने के लिए विभिन्न कॉलेजों की टीमों का चयन किया गया था। मध्यप्रदेश राज्य के लिए क्विज का राज्यस्तरीय राउंड भोपल के होटल ताज लेकफ्रंट में संपन्न हुआ, जिसमे कुल 168 छात्रों (84 टीमों) ने भाग लिया। प्रतियोगिता में नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल की टीम, जिसमें हर्षुल मित्तल और खुशन नेहरा शामिल थे, विजेता बनी। इसके अलावा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर की टीम दूसरे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एजुकेशन रिसर्च की टीम तीसरे स्थान पर रही। प्रतियोगता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थानों पर विजयी टीमों को क्रमशः 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख की राशि आरबीआई द्वारा प्रदान की गई। प्रथम स्थान पर रहने वाली विजेता टीम आगामी 3 दिसंबर को इंदौर में होने वाले जोनल राउंड में प्रतिस्पर्धा करेगी। प्रतियोगिता का राष्ट्रीय फाइनल दिसंबर 2024 में मुंबई में आयोजित किया जाएगा।

सबको शिक्षित बनाना सरकार की प्राथमिकताः चौहान

भोपाल (काप्र)।

अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि ज्ञानोदय विद्यालयों से हमें गरीब बच्चों को शिक्षित करने का अवसर मिल रहा है, यह हमारा सौभाग्य है। सभी को शिक्षित बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि हम यह प्रयास करें कि विद्यार्थियों को पढ़ाई का माहौल मिले। पढ़ाई में कमजोर बच्चों की मार्किंग कर, उनकी कमियों का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के प्रवेश लेते ही बच्चों की नींव मजबूत करने का प्रयास करें, जिससे वे राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिये तैयार हो सके। श्री चौहान गुरुवार को ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, कटारा हिल्स में शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों के संचालन की समीक्षा कर रहे थे। श्री चौहान ने विद्यालय का निरीक्षण भी किया। श्री चौहान ने निरीक्षण में छात्र-छात्राओं से शैक्षणिक, पाठ्येतर गतिविधियों, मिलने वाली सुविधाओं के बारे में चर्चा भी की। उन्होंने विद्यालय में स्थापित साइंस लैब, सोशल साइंस लैब, म्यूजिक रूम और क्लास रूम का निरीक्षण किया। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए उपकरणों और प्रदर्शनी की सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ दोपहर भोजन भी किया।

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों में रिक्त पदों की शीघ्र पदपूर्ति कर लें। सभी विद्यालयों में खेलकूद परिसर बनाएं जाएं, जिन संभाग में परिसर बनाने का कार्य भूमि अनुपलब्धता के कारण अप्रारंभ हैं, उन जिलों के कलेक्टर को भूमि आवंटन करने के लिए पत्र लिखें। उन्होंने ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, रीवा के लिए शीघ्र भूमि आवंटन कार्यवाही कराने के निर्देश दिए। उन्होंने इन विद्यालयों के छात्रावासों के संचालन, रख-रखाव एवं सामग्री प्रदाय, विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं तथा उपलब्ध बजट उपयोग की भी समीक्षा की।

प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण डॉ. ई रमेश कुमार ने कहा कि परीक्षा परिणाम बेहतर करने के लिए सभी प्राचार्यों को विद्यार्थियों की ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग के बाद कमजोर बच्चों की हैंड होल्डिंग कर उनकी शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए। उन्होंने प्राचार्य विद्यार्थियों की विषयवार मैपिंग करने और बोर्ड परीक्षाओं के लिए मॉडल प्रश्न उत्तर तैयार करने के निर्देश दिए।

कार्यालय राजस्व निरीक्षक नजूल वृत्त एम.पी. नगर भोपाल

(7 नम्बर बस स्टॉप शिवाजी नगर भोपाल)

क्रमाक /रा.नि.वृ/........2023-24

भोपाल दिनांक 28/11/24

सूचना पत्र

प्रति, नाम-1. उपेन्द्र तोमर मो. 9425005084, 2. संयुक्त बिहार सोसायटी सुनील गुप्ता, 3. ब्रेवरीज (केड़िया), 4. सरोज चौहान, रिंकू चौहान। **विषय**-भूमि का सीमांकन किये जाने बाबत्। **संदर्भ**- प्रकरण क्रमांक 0182/अ-12/2024-25 के पालन में। विषयांकित संदर्भित के संबंध में आवेदक श्री अजय सिंह पिता श्री लक्ष्मण सिंह निवासी 08/ सुमित इन्कलेव चूना भट्टी द्वारा ग्राम बरखेड़ा पठानी की भूमि खसरा क्र. 407/6, 408/च, रकवा 0.1010 का सीमांकन हेतु आवेदन किया है। उपरोक्त भूमि का सीमांकन दिनांक 04/11/24 को समय 11 बजे विषयांकित संदर्भित आदेश के पालन में किया जाना है। आपको आवेदक एवं पड़ोसी भूमि स्वामी होने के कारण सूचित किया जाता है कि नियत तिथि एवं समय पर मौके पर उपस्थित रहे। आपकी अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन कार्यवाही स्थगित नहीं की जावेगी। **नोट**-अपरिहार्य कार्य की दशा में सीमांकन की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। दिनांक 28/11/2024

राजस्व निरीक्षक

नजूल वृत्त एम.पी. नगर, जिला-भोपाल

A.G.

न्यायालय तहसीलदार, तहसील-कोलार जिला भोपाल

प्रकरण क्र. 350/अ-6/2023-24

उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्रीमती इंदिरा देवी पत्नी श्री बलदेव कुंभरे व श्री मनोज कुंभरे आ. श्री बलदेव कुंभरे निवासी EWS 456 इंदिरा नगर, मंडीदीप रायसेन म.प्र.। म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्र. MP059702022A1970837 दिनांक 23.09.22 ग्राम रापड़िया प.ह.न. स्थित भूमि खसरा नं. 1/2, 2/2 रकबा 111.48 वर्गमीटर प्लाट क्रमांक बी-38, भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किये जाने का अनुरोध किया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 10/12/2024 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 26/11/2024 को जारी किया गया।

सील

तहसीलदार

तहसील कोलार, जिला-भोपाल

2695

कार्यालय राजस्व निरीक्षक नजूल वृत्त एम.पी.नगर भोपाल

क्रमांक... / रा.नि.वृ./......2023-24

भोपाल दिनांक 28/11/24

सूचना-पत्र

प्रति, नाम-1. साउथ ब्लॉक एसआरजी कन्स्ट्रक्सन, सुनील गुप्ता, 2. तिवारी जी बिलासपुर, 3. ब्रेवरीज (केड़िया) 4. अजय सिंह चौहान, 5. सरोज चौहान । **विषय**- भूमि का सीमांकन किये जाने बाबत्! **संदर्भ**- प्रकरण क्रमांक 0.183/अ-12/2024-25 के पालन में।
विषयांकित संदर्भित के संबंध में आवेदक श्री रिंकू चौहान पिता स्व. श्री.एल.एस. चौहान निवासी 08, सुमित इनक्लेव चुना भट्टी द्वारा ग्राम बरखेड़ा पठानी की भूमि खसरा क्र. 412/4, 413/घ, रकबा 0.5100 का सीमांकन हेतु आवेदन किया है। उपरोक्त भूमि का सीमांकन दिनांक 04/11/24 को समय 11:00 बजे विषयांकित संदर्भित आदेश के पालन में किया जाना है। आपको आवेदक एवं पड़ोसी भूमि स्वामी होने के कारण सूचित किया जाता है कि नियत तिथि एवं समय पर मौके पर उपस्थित रहे। आपकी अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन कार्यवाही स्थगित नहीं की जावेगी। **नोट**-अपरिहार्य कार्य की दशा में सीमांकन की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। दिनांक 28/11/24

राजस्त निरीक्षक

नजूल वृत्त-एम.पी. नगर भोपाल

2696

कार्यालय राजस्व निरीक्षक नजूल वृत्त एम.पी.नगर भोपाल

क्रमांक... / रा.नि.वृ./......2023-24

भोपाल दिनांक 28/11/24

सूचना-पत्र

प्रति, नाम- 1. उपेन्द्र तोमर 9425005084 2. संयुक्त विहार सोसायटी सुनील गुप्ता, 3. अजय सिंह चौहान, 4. रिंकू चौहान। **विषय**- भूमि का सीमांकन किये जाने बाबत्। **संदर्भ**- प्रकरण क्रमांक 0.181/अ-12/2024-25 के पालन में।
विषयांकित संदर्भित के संबंध में आवेदक श्री/श्रीमती सरोज चौहान पिता/पति स्व. श्री. लक्ष्मण सिंह चौहान निवासी 08/ सुमित इंक्लेव चुना भट्टी द्वारा ग्राम खजूरीकलां की भूमि खसरा क्र. 407/ख, 408/ख रकबा 0.101 का सीमांकन हेतु आवेदन किया है। उपरोक्त भूमि का सीमांकन दिनांक 04/12/24 को समय 11:00 बजे विषयांकित संदर्भित आदेश के पालन में किया जाना है। आपको आवेदक एवं पड़ोसी भूमि स्वामी होने के कारण सूचित किया जाता है कि नियत तिथि एवं समय पर मौके पर उपस्थित रहे। आपकी अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन कार्यवाही स्थगित नहीं की जावेगी। **नोट**- अपरिहार्य कार्य की दशा में सीमांकन की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। दिनांक 28/11/24

राजस्त निरीक्षक

नजूल वृत्त-एम.पी. नगर भोपाल

2697

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

आम सूचना

न्यू सुभाष नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल में भूखण्ड/भवन क्रमांक ई.डब्ल्यू.एस.-1/158 मण्डल द्वारा श्री एन.के. रावत आत्मज श्री पी.एस. रावत के नाम पर आवंटित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 01/02/2006 को उप पंजीयक कार्यालय से पंजीकृत है। श्री एन.के. रावत द्वारा भवन का विक्रय विलेख दिनांक 28/03/2006 को उप पंजीयक कार्यालय से निष्पादित कराकर श्रीमती सुलोचना खांडेकर पत्नी श्री राजेश खांडेकर को विक्रय कर दिया गया। उक्त संपत्ति के क्रेता श्रीमती सुलोचना खांडेकर पत्नी श्री राजेश खांडेकर द्वारा आवेदन पत्र, शपथ-पत्र (स्वयं का) एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए विक्रय विलेख दिनांक 28/03/2006 के आधार पर भवन अपने नाम हस्तान्तरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, साथ यह भी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि भवन के आवंटी श्री एन.के. रावत आत्मज श्री पी.एस. रावत एवं उनके परिवार का वर्तमान में कहीं पता नहीं चल रहा है। भविष्य में किसी भी वाद-विवाद हेतु वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्रस्तुत दस्तावेजो एवं विक्रय विलेख दिनांक 28/03/2006 के आधार पर उक्त संपत्ति श्रीमती सुलोचना खांडेकर पत्नी श्री राजेश खांडेकर के नाम पर हस्तान्तरण हेतु प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

संपदा अधिकारी

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल प्रक्षेत्र-2, भोपाल

2698

आम-सूचना

मेरे पक्षकार भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीसी 2, भोपाल की ओर से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रिंकी ठाकुर, आयु वयस्क, पुत्री श्री जीवन सिंह ठाकुर द्वारा एक किता आवासीय भूखण्ड क्र.बी 08, जिसका क्षेत्रफल 1452.6 वर्गफीट है, जो ग्राम करोंद कला, वार्ड नंबर 79, तहसील हुजूर, भोपाल (म.प्र.) में स्थित है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं पूरब में प्रस्तावित 12 मीटर चौड़ा रोड, पश्चिम में भूखण्ड क्र. बी-29, उत्तर में प्रस्तावित 7.50 मीटर चौड़ा रोड दक्षिण में भूखण्ड क्र. बी-09 है, को साम्यिक बंधक किया जाना प्रस्तावित है। उक्त संपत्ति वर्तमान में श्री अरविंद सिंह दांगी आत्मज श्री कल्याण सिंह दांगी के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य में है जिसे उन्होंने श्री राजेन्द्र सिंह दांगी पुत्र स्व. श्री प्यारे लाल दांगी से खरीदा था जिसके विक्रय पत्र का पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय भोपाल में दिनांक 29/06/2016 को ई पंजीयन क्रमांक [illegible] है। उक्त संपत्ति से संबंधित मूल विक्रय पत्र दिनांक 03/02/2006, गुम होने के कारण वर्तमान स्वामी श्री अरविंद सिंह दांगी आत्मज श्री कल्याण सिंह दांगी के पास उपलब्ध नहीं है, जिसके संबंध में उनके द्वारा पुलिस थाना छोला मंदिर भोपाल में प्रथम सूचना रिपोर्ट एनसीआर दिनांक 09/11/2024 को दर्ज करवा दिया है। मेरे पक्षकार बैंक में उक्त संपत्ति को उपरोक्त दस्तावेज के आधार पर साम्यिक बंधक किये जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति संस्था बैंक, शासकीय अर्धशासकीय निकाय को किसी प्रकार की आपत्ति हो अथवा किसी प्रकार का कोई भार या ऋण हो या किसी अन्य व्यक्ति के हित निहित हो या कोई विवाद या ऋण हो या उक्त मूल दस्तावेज किसी भी व्यक्ति को मिले या किसी के पास हो तो मेरे पक्षकार बैंक में प्रस्तुत करे एवं इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर समस्त दस्तावेजी साक्ष्य के साथ मेरे कार्यालय (कार्यालयीन समय सायं 6 बजे से रात्रि 8 बजे) में आपत्ति दर्ज करावे, अन्यथा निर्धारित समयावधि के पश्चात मेरा पक्षकार उक्त संपत्ति को उपरोक्त दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपि एवं शेष अन्य मूल दस्तावेजों के आधार पर बंधक कर ऋण प्रदान कर सकेगा। निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई भी आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी और तत्संबंध में मेरा पक्षकार न्यायसंगत कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

भवदीय **धर्मेन्द्र सिंह** अधिवक्ता

पता-आई-26, वर्धमान ग्रीन पार्क कालोनी अशोका गार्डन, भोपाल

मो.9827452301

2699

जाहिर सूचना

आवासीय प्लाट नं.-300 इको ग्रीन, दामखेड़ा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित शाखा टी. टी. नगर, भोपाल से प्राप्त किये जा रहे ऋणपेटे आवेदक श्री राजेश कुमार गुप्ता आत्मज श्री आर. के. केशरवानी एवं श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी श्री राजेश कुमार गुप्ता निवासीगण खैमेई रोड रंजनम बिल्डिंग के पीछे सतना (म.प्र.) द्वारा प्राप्त किये जा रहे ऋणपेटे बंधक की जा रही संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति एक किता आवासीय प्लाट नं. -300 ईको ग्रीन जो कि खसरा नं. 120/1, 120/2, 122/2, 123, 120/3, 118/2, 119/1/2, 119/2, 124/1/1, 124/1/2,का 127/2/1/1, 122/1, 128/1, 245/124 / 1, 245 / 124 / 2, 124/2/2, 127/1/2, 127/2/1/2, 128 / 2 एवं 121 कुल रकबा 13.80 एकड़ का अंशभाग होकर ग्राम दामखेड़ा, वार्ड नं. 85 तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.) में स्थित है जिसकी चर्तुसीमायें निम्नानुसार है पूर्व में रोड, पश्चिम में अन्य प्लाट, उत्तर में - प्लाट नं. 299, दक्षिण में प्लाट नं. 301 जिसके भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 81.78 वर्गमीटर है को साम्यिक बंधक क जाने के लिए मूल विक्रयपत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैंक शाखा में प्रस्तुत किया है। यदि उपरोक्त बंधक की जा रही सम्पत्ति पर किसी भी व्यक्ति, शासकीय, अशासकीय वित्तीय संस्था, बैंक, सोसायटी एवं अन्य का कोई हित, स्वत्व संबंध या किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन हो, तो वह सूचना प्रकाशन दिनांक से सात दिवस की अवधि में स्पष्ट प्रमाण सहित कार्यालयीन समय में मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करे, अन्यथा समयावधि पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्ती, दावा, स्वत्व या अधिकार मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगा तथा मेरा पक्षकार उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति को ऋणपेटे साम्यिक बंधक करने के लिये पूर्णतः स्वतंत्र होगा ।

योगेश पवार अधिवक्ता

245 ओल्ड अशोका गार्डन रायसेन रोड भोपाल

सम्पर्क-9893276073,9425027947

2700

न्यायालय तहसीलदार, वृत्त-3 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 6330/अ-6/2024-25

मौजा-नीलबड तहसील हुजूर, भोपाल

उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका..शाहीन उप इमरान पिता/पति उमरान डाँ आरिफ मुमताज .. निवासी भोपाल द्वारा ग्राम गोंदरमऊ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा कमांक 551/3/9 रकबा 3485 ..हेक्टेयर / एकड/वर्गमीटर / वर्गफिट भूमि का नामांतरण / बटवारा /बटान/सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पेश किया है जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में विधिक कार्यवाही किये जाने पर यदि किसी व्यवि/संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन से 05-12-24 के भीतर स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 28/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय पद मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार नजूल संत

हिरदाराम नगर (बैरागढ) वृत्त भोपाल

2701